

राजस्थान-सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राज0 जयपुर
क्रमांक :- ई-18/एम/जोन-जोधपुर/एफ.6126यु/17395/2026/101 दिनांक : 17/03/2026

आदेश

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक: एफ.15(1)/एफडी/रूल्स/2017 दि0 30.10.2017 व 9.12.2017 एवं एफ.15(1)/एफडी/रूल्स/2017पार्ट दिनांक 06.10.2023 में उल्लेखित प्रावधानों के श्री जोगेन्द्र, वरिष्ठ सहायक, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिणधरी, बालोतरा जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 24.12.2007 है को 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 24.12.2025 से पे मेट्रिक्स के लेवल-10 में एमएसीपी स्वीकृत किया जाता है।

उक्त कर्मचारी का वेतन नियतन संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा पृथक से किया जावेगा।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/जोन-जोधपुर/एफ.6126यु/17395/2026/104
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जोधपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बालोतरा।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिणधरी, बालोतरा।
4. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अवलोड करें।
5. श्री जोगेन्द्र, वरिष्ठ सहायक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date :10-03-2026 05:27:27

RajKaj Ref No.:
20923568
eSign DSC